[1]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

| मु.न. | दायरा दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 234/11 | 15.12.2011 | 19/7/2018 |

अनुवान

[1] अमरजीत सिंह
[2] मनदीप सिंह
[3] राजेन्द्र सिंह पुत्रान गोपाल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी पालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

— वादीगण

बनाम

[1] जसवन्त
[2] मदन
[3] सुभाष
[4] सुरेन्द्र पुत्रान रघुवीर सिंह जाति अहीर निवासी गुणासर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

— अप्रार्थीगण

[5] अमृतकौर बेवा गोपाल सिंह
[6] शेरसिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी पालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

— तर. प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइम्तनाई स्थाई जेर दफा 188
राज. काश्त अधिनियम 1955

उपस्थित -
1. श्री सुरेन्द्रसिंह यादव अभिभाषक वादीगण

वादीगण के उक्त अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर इस वाद हुक्मइम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 64 रकबा 4-14 बीघा वाकै ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम वादीगण संयुक्त खातेदारी की आराजी है तरतीबो प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है नाबालिग व वादीगण होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिस पर इस कालिज ...
लगातार -

मौके पर हम वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण का वास्तविक कब्जा है तथा कब्जा कायम की स्थिति है। अलावा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। जो कि प्रतिवादीगण अलावा गैर कानूनी और बलात आराजी हड़पना चाहते हैं जो कि प्रतिवादीगण जबरन विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं। अलावा प्रतिवादीगण ने मौके पर दिनांक 12.12.11 को आये और जबरन हम वादीगण की विवादित स्वामित्व की आराजी को जोत निर्माण करने का तथा कब्जा करने व हम वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण को बेदखल करने का असफल प्रयास किया व गैरकानूनी तौर पर धमकी दी कि वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे यदि ऐसा हुआ तो निश्चित वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये प्रतिवादीगण अलावा को जरिये हुक्म अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

पत्रावली को एकपक्षीय कर प्रतिवादीगण को जरिये प्रकाशन तामील किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि अलावा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अलावा प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की जोत को निर्माण कर कब्जा करना चाहते हैं अगर अलावा प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो निश्चित वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये अलावा प्रतिवादीगण को हुक्म अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। खतौनी फसली २०६४-२०६७ का अवलोकन किया। खतौनी में वादीगण सह-खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण अधिवक्ता का कथन है कि अलावा प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी की जोत को निर्माण करना चाहते हैं व वादीगण को बेवजह मुकदमे बाजी में परेशान

Cw व अनावश्यक पैदा करते हैं। विद्वान अधिवक्ता की बहस व कथन से हम सहमत हैं एवं अलावा प्रतिवादीगण को हुक्म अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा —

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद अंश वास्ते डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खाता ख. नं. 64/5-14 बीघा वाके ग्राम पालपुर तहसील कोटकासिम में वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई स्थायी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण व तरतीब प्रतिवादीगण की आराजी में दखल कब्जा ना करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे, ना ही बेचान करे, ना ही कब्जा काश्त वादीगण व तर. प्रतिवादीगण में व्यवधान व हस्तक्षेप करे, ना ही वादीगण की खड़ी कुदरती पैदावार को नष्ट करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/7/2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।